Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **दौसा में जेवीवीएनएल का कनिष्ठ अभियन्ता व लाईनमेन 60 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *21 अगस्त रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की दौसा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये जगदीश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व हरिमोहन मीणा लाईनमेन, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, मण्ड़ावर जिला दौसा को परिवादी से **60 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की दौसा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि हमारे द्वारा शिफ्टिंग करवाये गये कृषि विधुत कनेक्शन व चक्की के मीटर को अदला बदली करने की एवज में जेवीवीएनएल मण्ड़ावर के कनिष्ठ अभियन्ता जगदीश मीणा व लाईनमेन हरिमोहन मीणा द्वारा 60 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री विष्णुकान्त** के सुरपविजन में एसीबी दौसा इकाई के **अति0 पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा** नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय **श्री नवल किशोर पुलिस निरीक्षक** व टीम के कार्यवाही करते हुए जगदीश मीणा हाल कनिष्ठ अभियन्ता व हरिमोहन मीणा हाल लाईनमेन जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, मण्ड़ावर जिला दौसा को परिवादी से **60 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।